आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक सं0– ..... से .....

जिला – गिरिडीह, अंचल – धनवार, विविध वाद सं0– 08/सन–2022– 23

(ऑनलाईन विविध वाद सं0– 03/2023 –24)

केस का प्रकार – विविध वाद

आदेश का क0 सं0 और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
23.05.2025	–:आदेश: – यह विविध वाद अभिलेख सं0– 08/सन–2022– 23 (ऑनलाईन विविध वाद सं0– 03/2023 –24) (प्रमेश्वरी देवी बनाम् केदार पासवान) आवेदिका प्रमेश्वरी देवी, पति– बासुदेव रविदास, ग्राम– कोरियाडीह, थाना– धनवार, जिला– गिरिडीह के द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं0– 10 श्री रितेश कुमार सिन्हा के द्वारा अंचल निरीक्षक, धनवार के माध्यम से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आधार पर संधारित किया गया है। जॉच प्रतिवेदन निम्न प्रकार है : – 1. मौजा– जरीसिंगा, थाना नं0– 243, खाता नं0– 60, प्लॉट नं0– 735, कुल खतियानी रकवा– 30.68 एकड भूमि सर्वे खतियान के अनुसार गैरमजरूआ खास किस्म परती कदीम दर्ज है। 2. प्रथम पक्ष श्रीमति प्रमेश्वरी देवी द्वारा बताया गया कि उक्त भूमि के मधे 1.00 एकड़ भूमि उन्हें सरकारी बन्दोवस्ती हासिल है, जिसपर गॉव के ही केदार पासवान वो अन्य के द्वारा बाजबरन कब्जा का प्रयास किया जा रहा है। उनके द्वारा प्रस्तुत परवाना के अनुसार बन्दोवस्ती केस सं0– 14/03–04 के द्वारा मौजा– जरीसिंगा, खाता नं0– 60, प्लॉट नं0– 735/1, रकवा– 01.00 एकड भूमि प्रमेश्वरी देवी के नाम से बन्दोवस्ती की गई है। जिसका वर्ष 2003– 04 तक रसीद कटी है। 3. द्वितीय पक्ष से वादगत भूमि के दावे से संबंधित दस्तावेज की मॉग की गई जो अब तक अप्राप्त है। 4. वादगत भूमि पर द्वितीय पक्ष द्वारा पूर्व में कार्य किया जा रहा था। वर्तमान में अधिकांश भूमि परती के रूप में है। 5. नोटिस निर्गत कर द्वितीय पक्ष से दस्तावेज की मांग की जा सकती है। जॉच प्रतिवेदन के आलोक में उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर पक्ष रखने को कहा गया। उभय पक्ष ने उपस्थित होकर लिखित में जवाब दाखिल किया है। प्रथम पक्ष ने अपने दावा के समर्थन में अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह से प्राप्त परवाना तथा लगान रसीद की छाया प्रति पेश की है। द्वितीय पक्ष ने अपने दावा के समर्थन में जमींदार से प्राप्त हुकुमनामा, रिर्टन, लगान रसीद की छायाप्रति पेश की है। पक्षकारों के द्वारा उपलब्ध कराए गए कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि एक ही भूमि परं उभय पक्ष के द्वारा दावा किया जा रहा है। इससे मामला स्वत्व निर्धारण का बनता है, जिसपर किसी प्रकार का आदेश दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। 23.05.25 अंचल अधिकारी, धनवार। 23.05.25 अंचल अधिकारी, धनवार।	

Digitally signed by Gulzar Anjum
Date: 2025.05.23 14:39:12 +05:30
Location: 192.168.149.68